फार्म 21 (FORM 21)

नियम 81 2 देखिए [See rule 81(2)] कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु अथवा अपात्रता पर कुटुंब के अन्य व्यक्ति का कुटंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए पत्र का प्रारुप (Form of letter sanctioning Family Pension to another member of family on death or

	ineligibil	-	-	sion)	
	n				
				istry)	
विभाग / कार्यालय (Department/Office)					
`			दिन	नांक (dated)	
	FIR /The Dec)tt:)		
			Jilicer)		
	y Pension o	on death or inel	igibility of a reci	pient of Family Pens	ion.
⁄ महादया,					
मझे यह कहने का नि	नेदेश हआ है	कि स्वर्गीय श्री / श्रीर	नती	(जो इस मंत्र	ालय / विभाग
र्य में	(पदनाम)	। थे/थी के	(नातेदारी)	श्री / श्रीमती / कुमारी	
पी.ओ.सं	<u>े</u> द्वारा	दिनांक	सेंसे	रपये के कुटुं	ब पेंशन के
को प्राधिकृत किया गय	ाथा। (Ia	m directed to s	ay that Shri/Sm	t	
इस मंत्रालय / विभाग /	with thi 'कार्यालय को	इस आशय की सचन	प्राप्त हुई थी कि श्री	∕ श्रीमती) की दिनांक.
को	के कारण म	तुत्यु हो गई थी / कु	टुंब पेंशन के लिए पाट्ट	त्र नहीं है। (Intimation	has been
ed in this Min	istry/Depai	rtment/Officer	that Shri/Smt./	′Km	
		for family po	ension on acc	count of	
		न्तंत के उन्तराचीती स	ाराम निजनिक्ति हैं:		
					nsioner:-
नाम	जन्मतिथि	पता			
(Name)	(Date of	(Address)	साथ नातेदारी	पीड़ित है	प्रस्थिति
	Birth)		(Relationship	Whether suffering	Marital
				from any disability	status
			pensioner		
केंद्रीय सिविल सेवा (पे	iशन) नियम,19	72 के नियम 54 के ि	निबंधनों में कुटुंब पेंशन	की रकम श्री/श्रीमती/कुम	ारी
1972, the amo	ount of F	amily Pension	has become p	payable to Shri/Sm	t./Kumari
					/ Internally
श्री / श्रीमती / कुमारी		को को	/ रुपये प्रतिग	माह कुटुंब पेंशन दिए जा ं	ने की मंजूरी
रा दी जाती है। कुटुंब	पेंशन दिनांक		से प्रभावी होगी और	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन)	नियम, 1972
				le as per the provision	is of Sub-
				The Family Pension is	debitable
Head			, , (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
इसके साथ अग्रेषित र	नंलग्नकों की उ	गौर आपका ध्यान आव	कृष्ट किया जाता है।	(Your attention is inv	ited to the
ures forwarded her	ewith.)				
				. c scorr rough to the t	
•		J 1	,	_	
				भवदीय (Yours	faithfully),
	(To), वेतन और लेखा अधिव कुटुंब पेंशन पाने वाले व दर: Grant of Family / महोदया, मुझे यह कहने का वि में	(To), वेतन और लेखा अधिकारी (The Payage a पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अप्रकार (पदनाम) महोदया, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है में	सं. (No.) भारत सरकार (Govern विभाग / काय (To), वेतन और लेखा अधिकारी (The Pay and Accounts of and और लेखा अधिकारी (The Pay and Accounts of aggia पेशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कृदंब पेशन का महोदया, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री / श्रीम में (पदनाम) थे / थी के विभाग को प्राधिकृत किया गया था। (I am directed to sonship) of late Shri/Smt	सं (No.) भारत सरकार (Government of India) मंत्रालय (Min किमाग / कार्यालय (Department / किर्टुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कुटंब पेंशन की मंजूरी। ct: Grant of Family Pension on death or ineligibility of a reci महो यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती	ारात संरकार (Government of India) मंत्रलय (Ministry) विमान/कार्यातय (Department/Office) विनांक (dated)

कार्यालयध्यक्ष (Head of Office)

संलग्नकों की सूची (List of enclosures)-1. फार्म 14 जांच सूची के साथ (Form 14 (along-with checklist))